संशोधन पत्र

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(39)जन/मार्गदर्शिका 2015/ 8259 - 8797 दिनांकः 21/7/15

1. **समस्त उप महानिरीक्षक,**
   पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान
2. **समस्त उप पंजीयक,**
   पूर्णकालीन एवं पदेन,
   राजस्थान।

विषय : "मुद्रांक एवं पंजीयन मार्गदर्शिका, 2015" के परिपत्र संख्या 26/2015 दिनांक 17.06.15 में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्टाम्प सप्लाई, विक्रय, स्टाम्प पर देय कमीशन, स्टाम्प विक्रय हेतु लाईसेन्स तथा फ्रेंकिंग मशीन के संबंध में "मुद्रांक एवं पंजीयन मार्गदर्शिका, 2015" में प्रकाशित परिपत्र क्रमांक एफ–7(39)जन/मार्गदर्शिका2015/4671 दिनांक 17.06.15 (परिपत्र संख्या 26/2015) के बिन्दु संख्या (क) के उप बिन्दु 4 व 5 में स्टाम्प विक्रेताओं के द्वारा स्टाम्प विक्रय की अधिकतम सीमा सहवन से "**एक लाख रूपये**" अंकित हो गई हैं, जबकि राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम–23 के अनुसार स्टाम्प विक्रेताओं की स्टाम्प विकय की अधिकतम सीमा "**पचास हजार रूपये**" निर्धारित हैं।

अतः उपरोक्त परिपत्र क्रमांक एफ–7(39)जन/मार्गदर्शिका 2015/4671 दिनांक 17.06.15 (परिपत्र संख्या 26/2015) के बिन्दु संख्या (क) के उप बिन्दु 4 व 5 एवं अन्य और कही भी स्टाम्प विकेताओं द्वारा स्टाम्प विक्रय की अधिकतम सीमा "**एक लाख रूपये**" अंकित हो वहां "**पचास हजार रूपये**" पढ़ा जायें।

(के.बी.गुप्ता)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक/ 8798 - 8840 / 21/7/15

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
6. उप निदेशक कम्प्युटर, मुख्यालय, अजमेर को विभाग की वेबसाईट **igrs.rajasthan.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
7. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त–जोधपुर।
8. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर